

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 601]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 नवम्बर 2017—कार्तिक 16, शक 1939

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ. 13-2/1986/सात/4बी- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भरती नियम, 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो 1 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में-

1. नियम 8 में उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्-
 "(दो) तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवाओं हेतु उच्चतर आयु सीमा ऐसी होगी जैसी कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित की जाए।"
2. नियम 9 में, -
 (1) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 "(4) कोई अभ्यर्थी जो किसी अपराध में दोषसिद्ध हुआ हो अथवा जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है, वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।";
 (2) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 "(6) कोई अभ्यर्थी जो विकृतचित्त हो या ऐसे अपराध में लिप्त हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है या जो चयन की प्रक्रिया के दौरान कूटरचित्त या जो फेरबदल किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करता है या कोई सारवान तथ्य छुपाता है या जो ऐसी स्थायी प्रकृति की शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त है, जो कि उसके कर्तव्यों के निष्पादन में उसे असमर्थ बनाती हो, पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।"
3. नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 "12 क पटवारी के पद के लिए चयन,-
 नियम 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पटवारी के पद के लिए चयन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :-
 (क) प्रतियोगी परीक्षा के पश्चात् अर्हित अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट तैयार कर

प्रकाशित की जाएगी। सूची के प्रकाशन के पश्चात् तथा अभ्यर्थी द्वारा चयनित जिले की प्राथमिकता के आधार पर आवंटन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तत्पश्चात् कलक्टर द्वारा गठित चयन समिति उन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करेगी जिन्हें जिलों का आवंटन किया गया है। चयन समिति पात्र अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगी।

- (ख) जिला कलक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित करेगा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तदनुसार नियुक्ति आदेश जारी करेगा।
- (ग) अभ्यर्थियों को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
- (घ) खण्ड (क) के अनुसार तैयार की गई मेरिट लिस्ट से ही प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जो कि 18 माह की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।
- (ङ) यदि कोई अभ्यर्थी अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहने में असफल रहता है तो प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी की रिक्त पद पर नियुक्ति की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सेवा से त्यागपत्र दे देता है या सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है या नये पद सृजित किए जाते हैं तो प्रतीक्षा सूची से ऐसे रिक्त पद भरे जा सकेंगे।”।
4. अनुसूची—एक में, अनुक्रमांक 8 के पश्चात्, अनुक्रमांक (3) में, अंक “11622” के स्थान पर, अंक “19020” स्थापित किए जाएं।
5. अनुसूची—दो में अनुक्रमांक 3 के सामने कॉलम (6) में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्—
“किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्र. एफ 13-2-1986-सात-4बी.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ 13-2-1986-सात-4बी, दिनांक 7 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

No. F.- 13-2/1986/VII/4B- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Land Records and Settlements Class-III (Executive and Technical) Service Recruitment Rules, 2012, which shall be deemed to have come into force from 1st October, 2017, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 8, in sub-rule (1), in clause (c), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :-
"(ii) The upper age limit for class-III non-gazetted (Executive and Technical) service shall be such as prescribed by the general Administrative Department.";
2. In rule 9,-
 - (1) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :-
"(4) Any candidate shall not be eligible for appointment to a service who has been convicted of an offence or against whom a criminal case has been registered.";
 - (2) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :-
"(6) Any such candidate who is of unsound mind or has been involved in case of moral turpitude or submits forged or tempered documents or has concealed any material facts at selection stage or has physically weakness of permanent nature so that unable to

perform his duty, shall not be eligible for appointment to the post."

3. After rule 12, the following rule shall be inserted, namely :-

"12-A. Selection for the post of Patwari.-

Notwithstanding anything contained in rule 12, the selection for the post of Patwaris shall be made in the following manner,-

- (a) A merit list of qualified candidates shall be prepared and published after competitive examination. After publication of the list the counselling process shall be started for allotment of the Districts on preference basis opted by the candidate, thereafter the selection committee constituted by the Collector shall examine the documents of the candidates who have been allotted the District. The selection committee shall prepare the select list of eligible candidates;
- (b) The District Collector shall send the list of selected candidates to the Sub-Divisional Officer (Revenue) for issuing the appointment order. The Sub-Divisional Officer (Revenue) shall issue the appointment order accordingly;
- (c) The candidate shall not be posted in his home tehsil;
- (d) The waiting list shall be made from the merit list prepared under clause (a) which shall be valid for a period of eighteen months;
- (e) If any candidate fails to join his duties, then the candidate from the waiting list shall be appointed on that vacant post. If any person resigns from the service or any person has been dismissed from the service or the new posts have been created, then such vacant post may be filled up from the waiting list."

4. In Schedule-I, against serial number 8, in column (3), for the figure "11622", the figure "19020" shall be substituted.
5. In Schedule-II, against serial number 10, in column (6), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-
"Must have passed Graduation Degree from any recognized University."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
SUNIL DUBEY, Dy. Secy.